ACCOUNTABILITY INITIATIVE

हम और हमारी सरकार

CENTRE FOR POLICY RESEARCH

स्कूल प्रबंधन समिति (School Management Committee)

स्कूल प्रबंधन समिति

स्कूल प्रबंधन समिति क्या है?

स्कूल प्रबंधन समिति आर टी ई एक्ट के अंतर्गत विकेन्द्रीकृत व्यवस्था का बुनियादी हिस्सा है- जिससे ज़मीनी स्तर के हितधारकों को स्कूल के शासन में में भाग लेने का मौका मिलता है

यह प्रावधान कब और कैसे लागू हुआ?

शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुभाग 21 में स्कूल प्रबंधन समिति (या एस.एम.सी.) का गठन सभी सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में अनिवार्य किया गया है

समिति का हिस्सा कौन होते हैं?

स्कूल प्रबंधन समिति में स्कूल के हेडमास्टर, अध्यापक, बच्चों के माता-पिता और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी होते हैं, जो स्कूल की योजना बनाने का और स्कूल के कार्यों और गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं

स्कूल प्रबंधन समिति के उद्देश्य

- बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना
- प्रारंभिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा निति द्वारा निर्धारित उपलब्ध नामांकन ठहराव एवं शैक्षणिक उपलब्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना
- स्कूल प्रबधन समिति में अभिभावकों व शिक्षकों की भागीदारी को सशक्त करना
- सरकार व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त स्कूल अनुदानों, सुविधाओं के उपयोग के निर्णय, कार्यान्वयन व् अनुश्रवण हेतु अभिभावक-शिक्षक समुदाय को सशक्त करना
- विधार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धि स्तर में सुधार हेतु सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना
- स्कूल विकास एवं प्रबंधन हेतु सामुदायिक सहभागिता सुनश्चित करते हुए समुदाय को स्कूल गतिविधियों से परिचित करवाना

स्कूल प्रबंधन समिति का ढांचा और जवाबदेही

राजकीय/निजी प्राथमिक स्कूल/
उच्च प्राथमिक स्कूल

स्कूल प्रबंधन कार्यकारिणी समिति
(बच्चों की सख्या पर निर्भर)

स्कूल प्रबंधन समिति की आम सभा
(स्कूल के निकट का समुदाय वर्ग)

स्कूल के शैक्षणिक, वित्तीय और निर्माण सम्बन्धी कार्यों के प्रति उत्तरदायी

सरकार अथवा अन्य साधनों से प्राप्त अनुदान का नियम के अनुसार उपयोग सुनश्चित करना

मिड डे मील का निरिक्षण, अध्यापकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना

स्कूल वित्तीय रिकार्ड का लेखा-जोखा और खर्च सम्बन्धी निर्णय लेना

राज्य सर्व शिक्षा अभियान की संरचना हिमाचल प्रदेश के आधार पर बनाई गई है| बाकि राज्यों में हल्का परिवर्तन हो सकता है| राज्य सम्बंधित जानकारी के लिए सम्बन्धित राज्य की सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाइट देख सकते है|

www.rajteachers.com

स्कूल प्रबंधन समिति की आम सभा व कार्यकारी परिषद

- स्कूल प्रबंधन समिति के दो मुख्य अंग हैं- स्कूल प्रबंधन समिति की आम सभा तथा स्कूल प्रबंधन समिति की कार्यकारी परिषद।
- स्कूल प्रबंधन समिति की आम सभा में स्कूल के आसपास का समुदाय भाग लेता है और स्कूल प्रबंधन समिति में उसी समुदाय में से कार्यकारिणी के लिए 10-15 सदस्यों का आपसी सहमती से चुनाव किया जाता है।
- स्कूल प्रबंधन समिति की आम सभा आवश्यकता अनुसार बैठक बुलाने का निर्णय ले सकती है। इसके लिए कम से कम 10 सदस्यों द्वारा सचिव को नोटिस देना आवश्यक होता है।

- स्कूल प्रबंधन समिति की आम सभा में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावक, स्कूल के अध्यापक और पंचायत प्रतिनधि पदेन सदस्य के रूप में होते है ।
- स्कूल प्रबंधन समिति की आम सभा मुख्य रूप से तीन वार्षिक बैठक आयोजित करती है। पहले स्कूल शैक्षणिक स्तर आरम्भ होने के 15 दिन के भीतर कार्यकारी परिषद का चुनाव किया जाता है।
- आम सभा अपने में से कार्यकारी सदस्यों का चुनाव करती है। सदस्यों का चुनाव होने के बाद अध्यक्ष का चुनाव सदस्य आपसी सहमती से करते हैं। कार्यकारिणी के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होता है।
- आम सभा की दूसरी बैठक शिक्षक दिवस के मौके पर और तीसरी बैठक स्कूल सत्र समाप्त/परीक्षा परिणाम घोषित होने के मौके पर आयोजित की जाती है।

www.rajteachers.com

स्कूल प्रबंधन समिति की कार्यकारी परिषद की शक्तियां

- स्कूल प्रबंधन समिति के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए स्कूल प्रबंधन समिति की कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है।
- 60 बच्चों या उससे कम संख्या वालो स्कूलों के लिए 4 निर्वाचित अभिभावक सदस्य जिसमे 50% महिलाओं की भागीदारी होना सुनश्चित किया गया है।
- इसी के साथ अनुसूचित जाति एवं जन-जाति और युवा मंडल, महिला मंडल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्यकर्मी आदि की सदस्यता होना आवश्यक है।
- स्कूल प्रबंधन समिति की कार्यकारी परिषद के सदस्यों की सदस्यता का कार्यकाल दो वर्ष का होता है इसके अलावा जैसे ही उनके सदस्यों के बच्चे सम्बन्धित स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।

- स्कूल में सभी बच्चों के नामांकन व ठहराव को सुनश्चित करना। ड्रापआउट रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना।
- बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि में गुणात्मक सुधार के लिए कार्य करना और छात्रों की शैक्षणिक स्तर का नियमित रूप से अनुश्रवण करना और बच्चों के अभिभावक के साथ इसको लेकर समीक्षा करना।
- स्कूल विकास योजना तैयार करना और उसे लागू करना और उसका अनुश्रवण करना।
- सरकार तथा अन्य साधनों से प्राप्त अनुदान व आय का नियानुसार उपयोग सुनश्चित करना।

www.rajteachers.com

स्कूल प्रबंधन समिति के वित्तीय संसाधन और उसका प्रशिक्षण

- सरकार से प्राप्त अनुदान- वार्षिक अनुदान, भवन निर्माण संबंधी अनुदान, सहायता अनुदान
- गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय निकाय से प्राप्त अनुदान
- मेले अथवा सामुदायिक प्रयोजनों एवं स्कूल परिसर के उपयोग से प्राप्त अनुदान
- वार्षिक बजट आम सभा द्वारा पारित होता है- कार्यकारी परिषद को बजट के प्रावधान के अनुसार खर्च करने का पूरा अधिकार

- सरकार द्वारा स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण हर वर्ष सर्व शिक्षा अभियान द्वारा आयोजित किया जाता है
- प्रशिक्षण निम्न विषयों पर दिया जाता है- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का पालन, बच्चों के शैक्षणिक स्तर पर कदम उठाना, स्कूल सम्बन्धी वित्तीय रिकार्ड मेन्टेन करना
- स्कूल प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है

स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा स्कूल विकास योजना तैयार करना

- स्कूल प्रबंधन समिति, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन-चार माह पूर्व स्कूल विकास योजना का निर्माण करेगी
- एक विद्यालय विकास योजना 3 वर्षों के लिए तैयार की जाती है उसी के मद्देनजर रखते हुए वार्षिक विद्यालय विकास योजना तैयार की जाती है |
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मापदंडों के अनुसार विद्यालय में भौतिक संसाधनों एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनश्चित करवाना
- स्कूल विकास योजना में निम्न विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है
  - विद्यालय का भौतिक विकास
  - शैक्षिक गतिविधियाँ
  - सह-शैक्षिक गतिविधियाँ
  - अनुश्रवण एवं निगरानी

www.rajteachers.com

हम और हमारी सरकार

स्कूल प्रबंधन समिति के साथ अकॉउंटबिलिटी इनिशिएटिव का काम

www.rajteachers.com

अकॉउंटबिलिटी इनिशिएटिव द्वारा स्कूल प्रबंधन समितियों के साथ किये गए शोध कार्य

अकॉउंटबिलिटी इनिशिएटिव द्वारा स्कूल प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण को लेकर अपने 5 कार्य जिलों में शोध कार्य किये | इसके लिए हमने पिछले 4 से 5 वर्षों में समय-समय पर समितियों के साथ शोध कार्य किये हैं | जिसमें प्रथम चरण में स्कूल प्रबंधन समिति की ट्रेनिंग में भाग लेना और उनकी मासिक बैठक को करीब से अवलोकन करना शामिल है | ताकि यह समझा जा सके कि वास्तव में ये सब किस तरह से आयोजित होती हैं| इन शोध कार्यों से हमारी समझ और पक्की हो पायी, हमने जमीनी स्तर पर समझा की आखिर एस.एम.सी. अपनी भागीदारी किस तरह से निभाती है, उनका और स्कूल प्रशासन का सम्बन्ध किस तरह का होता है| इन सब अनुभवों के आधार पर हमें अगली रणनीति तैयार करने में काफी मदद मिल पाई |

5 राज्यों के 5 जिलों में एस. एम. सी. पर हुए अलग-अलग शोध कार्यों का विवरण

- बेहतर प्रदर्शन और कम प्रदर्शन करने वाली 5 स्कूल प्रबंधन समितियों पर शोध
- ट्रेनर्स के रूप में मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करना- राज्य स्तर से स्कूल स्तर तक प्रशिक्षण कार्यों में शामिल होना
- सामाजिक और भगौलिक परिस्थिति के आधार पर एस.एम.सी. का आंकलन करना

www.rajteachers.com

स्कूल प्रबंधन समिति पर शोध

स्कूल प्रबंधन समितियों पर शोध करने के लिए हमने 5 बेहतर और 5 कम बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों का चयन किया |

स्कूल चयन करने के लिए हमने कुछ मुख्य बिन्दुओं को अपना आधार बनाया|

निम्न बिंदुओं पर तुलना

- अध्यापकों की सख्या, शैक्षणिक योग्यता, रिक्त पदों, प्रशिक्षण का अन्तराल
- स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति (कक्षाकक्ष, चारदीवारी, खेलमैदान पीने के पानी, लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग शौचालय)
- स्कूल समुदाय द्वारा मासिक बैठक में भाग लेने को लेकर स्थिति का अकिलन
- गाँव से सबंधित स्कूल की दूरी
- एस. एम. सी. अध्यक्ष एवं सदस्यों से बातचीत करके स्कूल प्रशासन के साथ उनके संबंधों की जानकारी प्राप्त करना

ट्रेनर्स के रूप एस.एम.सी. के प्रशिक्षण में भूमिका निभाना

5 राज्यों में हमारी फील्ड टीम ने विभाग द्वारा हर वर्ष करवाई जाने वाली एस.एम.सी ट्रेनिंग में प्रशिक्षक के रूप में भाग लिया | एस.एम.सी. को उनकी जिम्मेदारी और कर्तव्य से परिचित करवाया| राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स के रूप में जिला स्तरीय ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया और स्कूल स्तर पर एस.एम.सी को प्रशिक्षित किया है |

हिमाचल और राजस्थान में राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भाग लेना तथा सरल रूप में एस.एम.सी. नियमावली को प्रस्तुत करना

अकाउंटबिलिटी इनिशिएटिव के कार्य जिलों में ट्रेनिंग करते हुए स्कूल प्रबंधन समितियों को जिम्मेदारी, कर्तव्य, स्कूल निधि और मॉनिटरिंग के प्रति जागरूक करना

वर्तमान में विभाग द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसका स्कूल स्तर पर भाग लेकर जायजा लिया गया कि वह कितनी प्रभावी है

www.rajteachers.com

अकाउंटबिलिटी इनिशिएटिव के कार्य जिलों में “हमारा पैसा हमारा स्कूल” कैम्प का आयोजन

- कार्य जिलों में ‘हमारा पैसा हमारा स्कूल’ कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्देश्य सरकार द्वारा स्कूल में दिए जाने अनुदानों एवं सुविधाओं से जागरूक कराना था ताकि जवाबदेहिता को बढ़ावा मिले। यह कैम्प उन्ही स्कूलों में आयोजित किया गया जहाँ पर हमने पहले अपना स्कूल निधि प्रवाह पर सर्वे किया था। स्कूल एस.एम.सी. और प्रशासन के साथ परिणाम को सांझा किया गया।

- इन कैम्पों का आयोजन बहुत सफल रहा। इनसे जागरूक होकर एस.एम.सी. एवं अभिभावक अपने अधिकारों से परिचित हुए जिससे उन्होंने अपने स्कूल प्रशासन से जवाबदेही रूपी सवाल करने शुरू कर दिए।

- सभी कार्य जिलों में सर्वे परिणामों को सांझा करने के बाद हमने स्कूल प्रबंधन समिति एवं अभिभावकों के साथ एक माइंड मैपिंग गतिविधि की। जिसमें हम सबसे पहले 2 से 5 लाख रूपए के अनुदान को बोर्ड पर प्रदर्शित करके उन्हें कहते थे कि यदि यह पैसा सीधे तौर पर आपको दे दिया जाए तो आप स्कूल में किन चीजों को प्राथमिकता देते हुए इसका खर्चा करोगे|

- परिणामस्वरूप हमारे प्रत्येक कार्य जिले में इस गतिविधि में स्कूल प्रबंधन समिति एवं अभिभावकों ने काफी गहनतापूर्वक चर्चा करते हुए अपनी प्राथमिकताओं को बोर्ड पर प्रदर्शित किया जिससे हमें मालुम चला कि अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति कितने संवेदनशील हैं।

उत्प्रेरक परिवर्तन (जयपुर में एस. एम. सी. के साथ हुआ शोध कार्य)

सैंपल स्कूल से एस. एम. सी. के सामाजिक और आर्थिक परिवेश से सम्बन्धित जानकारी एकत्र करना
एस.एम. सी. की अभी तक के समझ के आधार पर अगली योजना का प्रारूप तैयार करना
एस.एस.सी. सदस्यों की जिम्मेदारी और कर्तव्य के प्रति जागरूक करना
स्कूल विकास योजना के लिए एस.एम.सी. को प्रशिक्षित करना
एस.एम.सी. को प्रशिक्षित कर सामूहिक प्रक्रिया द्वारा स्कूल विकास योजना तैयार करना
एस. एम. सी. द्वारा स्कूल विकास योजना को तैयार कर स्कूल प्रशासन को सौंपना

www.rajteachers.com

Contact: humaari.sarkaar@accountabilityindia.org

www.rajteachers.com